# न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
## पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस

**राजस्व अपील संख्या 570/2022**

| अपीलाण्ट | बनाम | रेस्पोडेन्ट्स |
|---|---|---|
| 1. हेमन्त कुमार पुत्र जयप्रकाश<br>2. जयन्त कुमार पुत्र जयप्रकाश<br>3. सुनिता देवी पत्नी जयप्रकाश<br>4. उमा पुत्री जयप्रकाश<br>(जाति मेघवाल, निवासी ग्राम किशनैरी जेति, कानसिंह की सिड़, हाल निवासी एक्स–59, मागलेरी दिल्ली) | | 1. मामकौर उर्फ सरोज पुत्री स्व0 मंगलाराम पत्नी राजपाल उर्फ राजकुमार जाति मेघवाल निवासी ग्राम किशनैरी जेति, कानसिंह की सिड़, तहसील बाप, हाल जिला फलौदी<br>**प्रफोर्मा पक्षकार –**<br>2. ओमवती पुत्री मंगलाराम<br>3. जीवनी पुत्री मंगलाराम<br>4. जगदीश पुत्र ओमप्रकाश<br>5. राजेश पुत्र ओमप्रकाश<br>6. रविन्द्र पुत्र ओमप्रकाश<br>7. भारती पुत्री ओमप्रकाश<br>(जाति मेघवाल, निवासी ग्राम किशनैरी जेति, कानसिंह की सिड़, तहसील बाप, हाल जिला फलौदी)<br>8. राज0 राज्य द्वारा तहसीलदार बाप, हाल जिला फलौदी |

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश अपर जिला कलेक्टर फलौदी दिनांक 19.02.2021 राजस्व अपील संख्या 03/2017 अनवान मामकौर व अन्य बनाम हेमन्तकुमार वगैरा

उपस्थित–
1. श्री पूनाराम विश्नोई, वकील अपीलांट्स
2. श्री रोशनलाल वकील रेस्पो0सं0 1
3. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0सं0 8

## निर्णय

दिनांक 9.02.2026

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अपीलांट्स ने अपर जिला कलेक्टर फलौदी द्वारा राजस्व अपील संख्या 03/2017

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अनवान मामकौर बनाम हेमन्तकुमार वगैरा में पारित आदेश दिनांक 19.02.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसील बाप स्थित ग्राम किशनेरी जेति, कानसिंह की सिड के खसरा नं0 305 रकबा 100 बीघा भूमि के खातेदार मंगलाराम का फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 1342 दिनांक 05.12.1994 को उसके दो पुत्र ओम प्रकाश एवं जय प्रकाश के नाम स्वीकृत किया गया। जिसके विरूद्ध प्रत्यर्थी सं0 1– मामकौर द्वारा अपर जिला कलेक्टर फलौदी के समक्ष प्रस्तुत राजस्व अपील सं0 87/2011 में पारित निर्णय दिनांक 30.08.13 द्वारा अपील स्वीकार कर, ना0क0सं0 1342 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार बाप को मृतक खातेदार मंगलाराम के वारिसान की विस्तृत जांच कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया।

अपर जिला कलेक्टर फलौदी के उक्त निर्णय दिनांक 30.08.13 के विरूद्ध हेमन्त कुमार वगैरा ने न्यायालय हाजा के समक्ष अंतर्गत धारा 76 आरएलआर एक्ट के तहत प्रस्तुत राजस्व अपील संख्या 35/2015 में पारित निर्णय दिनांक 23.11.2016 द्वारा अपील स्वीकार कर, अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.08.13 को निरस्त करते हुए, रेस्पो0सं0 1– मामकौर को निर्देशित किया गया कि वे मृतक खातेदार जयप्रकाश एवं ओमप्रकाश के विधिक वारिसान अपीलांट–हेमन्तकुमार वगैरा एवं रेस्पो0सं0 4 से 7 तथा मृतक मंगलाराम की अन्य पुत्रियों एवं अपीलाधीन भूमि के हितबद्ध अन्य सभी को भी पक्षकार बनाते हुए पुनः अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ना0क0सं0 1342 के विरूद्ध अपील पेश करे तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत होने पर सभी पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया गया।

न्यायालय हाजा के उक्त निर्णय दिनांक 23.11.2016 की पालना में मामकौर द्वारा अपर जिला कलेक्टर, फलौदी के समक्ष प्रस्तुत राजस्व अपील संख्या 03/2017 में पारित निर्णय दिनांक 19.02.2021 द्वारा अपील स्वीकार कर, तहसीलदार बाप को स्व0 मंगलाराम पुत्र मनसुखराम के वारिसों की विस्तृत जांच कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित की गई। जिससे व्यथित होकर अपीलांट–हेमन्तकुमार वगैरा ने राज0 भू–राजस्व अधिनियम की धारा 76 के तहत यह द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने अपनी बहस में अपील मीमों उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि तहसील बाप स्थित ग्राम किशनेरी

जेति, कानसिंह की सिड़ के ख0नं0 305 रकबा 100 बीघा भूमि के खातेदार मंगलाराम का फौतेदगी ना0क0सं0 1342 दिनांक 05.12.1994 उसके दो पुत्रों—ओमप्रकाश व जयप्रकाश के नाम स्वीकृत किया गया। उक्त स्वीकृत ना0क0 के विरूद्ध रेस्पो0सं0 1—मामकौर द्वारा अपर जिला कलेक्टर फलौदी के समक्ष राजस्व प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, जो दिनांक 30.08.2013 को आंशिक स्वीकार कर, अपीलाधीन जैर ना0क0सं0 1342 दिनांक 05.12.1994 निरस्त कर मामला तहसीलदार को रिमाण्ड किया गया।

अपर जिला कलेक्टर फलौदी के उक्त निर्णय दिनांक 30.08.2013 के विरूद्ध वर्तमान अपीलार्थीगण—हेमन्त कुमार वगैरा ने न्यायालय हाजा के समक्ष राजस्व द्वितीय अपील संख्या 35/2015 पेश की गई, जो दिनांक 23.11.2016 को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर फलौदी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.08.13 को निरस्त कर, रेस्पो0सं0 1—मामकौर को निर्देशित किया गया कि वह मृतक खातेदार जयप्रकाश एवं ओमप्रकाश के विधिक वारिसान वर्तमान अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंटगण सं0 4 से 7 तथा मृतक मंगलाराम की अन्य पुत्रियों एवं अपीलाधीन भूमि से हितबद्ध अन्य सभी को पक्षकार बनाते हुए पुनः अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ना0क0सं0 1342 के विरूद्ध अपील पेश करे तथा अधीनस्थ न्यायालय अपील पेश होने पर सभी पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया गया।

न्यायालय हाजा के उक्त निर्णय की पालना में रेस्पो0सं0 1—मामकौर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पुनः अपील पेश की गई। जिसमें वर्तमान अपीलार्थीगण को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना, एकतरफा कार्यवाही कर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया। इस प्रकार आलौच्य प्रकरण में न्यायालय हाजा के निर्णय की अवहेलना हुई है। अपीलाधीन निर्णय से स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण के नोटिस अखबार में छाया बताते हुए, उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई है। जबकि जिस अखबार में नोटिस छाया करवाया गया वह अखबार अपीलार्थीगण जो कि दिल्ली में रहते है, कभी आता ही नही है। यह कृत्य रेस्पो0सं0 1—मामकौर द्वारा जानबूझ कर किया गया है, अधीनस्थ न्यायालय का दायित्व था कि वह अपीलार्थीगण के नोटिस विधिवत तामिल करवाते। अपीलार्थीगण को कभी कोई नोटिस रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्राप्त नही हुए तथा ना ही किसी अखबार की सूचना प्राप्त हुई। इसके अलावा अपीलाधीन आदेश में बिना किसी साक्ष्य रेस्पो0सं0 1—मामकौर को ना0क0सं0 1342 में वर्णित भूमि को पैतृक मानकर हिस्से की घोषणा कर दी गई, जिसमें मूल ना0क0 तक तलब नही किया गया। अतः अपीलाधीन

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरित होने से निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को सभी पक्षों की सुनवाई हेतु रिमाण्ड करने का आग्रह किया गया।

जवाब में रेस्पो0सं0 1–मामकौर के अधिवक्ता ने अपीलांट की बहस के खण्डन में मुख्यतः यह आग्रह किया कि न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय की पालना में रेस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील में अपीलांट्स एवं अन्य रेस्पो0 के सम्मन रजिस्टर्ड डाक द्वारा भिजवाकर डाक रसीदे पेश की गई। उक्त नोटिस न्यायालय हाजा में पूर्व प्रस्तुत अपील में लिखे पत्ते पर भिजवाये गये थे। जिनमें से रेस्पो0सं0 5 से 10 के नोटिस अदम तामिल प्राप्त हुए तथा रेस्पो0सं0 1 से 4 के तामिल अथवा अदम तामिल प्राप्त नही हुए। जिनकी तामिल अप्रर्याप्त मानते हुए इन सभी के नोटिस समचार पत्र–वीर अर्जुन व विराट वैभव, नई दिल्ली में साया करवाये गये। तदउरांत इनकी अनुपस्थिति में एकतरफा आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलाधीन जैर ना0क0सं0 1342 की प्रमाणित सुदा प्रति मौजूद है, अतः मूल ना0क0 तहसीलदार से प्राप्त होने अथवा नही होने को कोई प्रश्न नही है। अपीलाधीन आदेश द्वारा प्रकरण तहसीलदार बाप को मृतक खातेदार मंगलाराम के वारिसों की विस्तृत जांच कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है। जिसमें अपीलांट अथवा अन्य पक्ष अपनी आपत्ति तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। रेस्पो0 द्वारा ना0क0सं0 1342 के विरूद्ध दर्ज प्रथम सं0 87/2011 में पारित निर्णय दिनांक 30.08.2013 द्वारा प्रकरण मृतक खातेदार के वारिसान की जांच हेतु तहसीलदार को रिमाण्ड किया गया था, जो इतने वर्षो के बाद भी अपीलीय कार्यवाही के चलते लंबित है। अतः अपील खारिज कर अपीलाधीन आदेश यथावत रखने का आग्रह किया गया।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके आधार यह पाया गया कि हस्तगत अपील में अपीलांट्स द्वारा रेस्पो0सं0 1–मामकौर के अलावा अन्य सभी को प्रफोर्मा पक्षकार संयोजित किया गया, इस कारण वह सुनवाई से वंचित है। इस मामले में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व पारित निर्णय दिनांक 30.08.2013 के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत द्वितीय अपील में निर्णय दिनांक 23.11.2016 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड की गई थी, जिसमें अपीलांट जरिये अधिवक्ता उपस्थित थे। अतः उक्त जानकारी के उपरांत भी यदि पक्षकार अपनी जिम्मेदारी समझते हुए न्यायिक प्रकिया में सहयोग करने की बजाय तकनिकी आधारों का सहारा लेने का प्रयास करे तो यह

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अनावश्यक रूप से न्यायालय का समय बर्बाद करना है, जिसके लिए कानूनन कॉस्ट के भी प्रावधान है। आलौच्य प्रकरण में अपीलांट यदि वाकई में सुनवाई चाहता है, तो वह अपना पक्ष तहसीलदार बाप के समक्ष मृतक खातेदार के वारिसान की विस्तृत जांच कार्यवाही के दौरान रख सकता है। लिहाजा आलौच्य प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट्स स्वीकार योग्य नही पायी जाने से तदनुसार खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर फलौदी द्वारा राजस्व अपील सं0 03/2017 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.02.2021 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 9-2-26 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

9/2/26.
(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर